न्यायालय जिला कलक्टर करौली

पीठासीन अधिकारी डॉ. मोहन लाल यादव, आई.ए.एस.

गजेन्द्र मीना पुत्र भौंदूराम मीना आयु 45 साल जाति मीना निवासी ग्राम लंगडापुरा तहसील करौली जिला करौली – अपीलाण्ट

बनाम

जिला रसद अधिकारी करौली जिला करौली (राज0) – रेस्पोण्डेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 22 राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ विनियम आदेश 1976 विरूद्ध निर्णय व आदेश दिनांकित 03.06.2019 श्रीमान् जिला रसद अधिकारी करौली, जिला करौली

निर्णय

दिनांक 30.09.2019

यह अपील राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के तहत पेश की है। प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि जिला रसद अधिकारी करौली, प्रवर्तन निरीक्षक करौली व प्रवर्तन निरीक्षक मण्डरायल द्वारा दिनांक 20.02.2019 को जांच की गई जिसमें दुकान के बाहर मूल्य सूची व स्टॉक प्रदर्शन बोर्ड लगा हुआ पाया जाना किन्तु संधारित नहीं पाया जाना, 66.43 किलो चीनी का दुरुपयोग पाया जाना, राशन वितरण व्यवस्था सही नहीं होना, उपभोक्ताओं के साथ अभद्र व्यवहार करना, राशन कार्ड में गेंहूं व चीनी देने का इन्द्राज नहीं पाया जाना आदि अनियमितताएं पाये जाने पर दिनांक 03.06.2019 को अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया जिसके विरुद्ध यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी की तलबी जरिये सम्मन नोटिस की गई। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब कर शामिल पत्रावली की गई।

बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

वकील अपीलाण्ट ने अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कथन किया है कि आदेश निर्णय जेर अपील दिनांक 03.06.2019 राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनिमय) आदेश 1976 के प्रावधानों के विपरीत, विधि एवं नियम विरुद्ध पारित होने के कारण काबिल निरस्तनीय है। जांच रिपोर्ट 20.02.2019 व उसके आधार पर की गई ऑडिट रिपोर्ट से प्रार्थी / अपीलार्थी के पास 66.43 किलोग्राम चीनी का कम पाया जाना एवं 1474 लीटर केरोसीन का अधिक वितरण करना बताया गया है, जबकि निरीक्षण के समय प्रार्थी की उचित मूल्य की दुकान पर चीनी कम नहीं थी। जांच अधिकारियों द्वारा भौतिक सत्यापन के समय चीनी की तुलाई नहीं की गई, जबकि उचित मूल्य दुकान में पचास किलो चीनी का एक कट्टा एवं एक लूज कट्टे में 16.430 किलोग्राम चीनी, गेंहू के कट्टों के पास दीवार से लगवां रखी हुई थी कि जिसे जांच अधिकारियों द्वारा नहीं देखा गया एवं दिनांक 01.10.2016 के स्टॉक रजिस्टर के अनुसार प्रार्थी / अपीलार्थी की उचित मूल्य की दुकान पर 1474 लीटर केरोसीन का प्रारम्भिक स्टॉक था। प्रार्थी द्वारा केरोसीन का आमद से ज्यादा वितरण नहीं किया गया था आरोप निराधार है। आमद से ज्यादा वितरण किया जाना ही संभव नहीं है। रेस्पोण्डेण्ट द्वारा दिनांक 12.03.2019 को प्रार्थी का प्राधिकार–पत्र निलंबित किये जाने पर वैकल्पिक उचित मूल्य दुकानदार श्री नेमीचंद मीना को स्टॉक अनुसार रसद सामग्री को सुपुर्दगी में देकर रसीद प्राप्त की गई है। रसद सामग्री के वितरण का इन्द्राज उपभोक्ताओं के राशनकार्डो में दर्ज है, जिससे अपीलार्थी की बदनीयती नहीं मानी जा

सकती है। केवल मात्र सदभाविक भूल के लिये अत्यधिक कठोर दण्ड से दण्डित किया जाना न्यायोचित नहीं है। जिला रसद अधिकारी करौली द्वारा आदेश व निर्णय जेर अपील दिनांकित 03.06.2019 पारित करने से पूर्व प्रार्थी/अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया और ना ही प्रार्थी/अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत जवाब का अवलोकन किया गया। राजस्थान खाद्यान्न एवं आवश्यक वस्तु विनियम आदेश 1976 की धारा 8(2) में यह उल्लेखित है कि No Order of Cancellation shall be made under this order unless the authorization holder has been given a reasonable opportunity of stating his case against the proposed cancellation but during the pendency or in contemplation of proceedings of cancellation of authorization, the authorization can be suspended for a period not exceeding 90 days without giving any opportunity to the authorization holder of starting his case. अर्थात राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक वस्तु विनियम आदेश 1976 के प्रावधानों के विपरीत प्राधिकार पत्र को निरस्त किये जाने से पूर्व प्रार्थी/अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक है परन्तु उक्त प्रकरण में श्रीमान् जिला रसद अधिकारी करौली द्वारा एक तरफा आदेश प्रदान किया है कि जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत पारित होने के कारण काबिल निरस्तनीय है। प्रार्थी/अपीलार्थी के ऊपर प्रकरण संख्या 231/15 के बाबत लगाये गये सभी आरोप संभावित संभावनाओं पर आधारित है जिनमें कोई सच्चाई नहीं है। विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि जब तक किसी ठोस एवं पर्याप्त तथ्यों द्वारा किसी आरोप की पुष्टि नहीं हो जाती तब तक उक्त आरोपों को सिद्ध नहीं माना जा सकता है, जबकि उक्त प्रकरण संख्या 231/15 में जांचकर्ता द्वारा किसी भी उपभोक्ता के कोई बयान नहीं लिये गये एवं नाही उपभोक्ताओं से कोई पूछताछ की गई, ऐसी स्थिति में कानूनन उक्त आरोपों को सिद्ध नहीं माना जा सकता है। जाँच रिपोर्ट दिनांकित–20.02.2019 के बाबत प्रार्थी/अपीलार्थी की ओर से दिनांक–14.05.2019 को प्रस्तुत जवाब को पीठासीन अधिकारी श्री सुभाष चौधरी जी ने निर्णय जेर अपील में संतोषजनक पाये जाने पर पूर्व प्रकरण संख्या–231/15 को प्रकरण संख्या–248/19 में शामिल मिशल करते हुए प्रकरण संख्या–231/15 में दर्शायी गई तथाकथित अनियमितताओं पर प्रार्थी/अपीलार्थी के विरुद्ध आदेश व निर्णय जेर अपील प्रदान किया गया है कि जो कानूनन विधि एवं नियम विरूद्ध दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य के अभाव में पारित होने के कारण काबिल मंसूखी है। प्रकरण संख्या–231/15 के बाबत रेस्पोडेन्ट की ओर से कोई समुचित सुनवाई/कार्यवाही नहीं की गई ओर नाही किन्ही अनियमित्ताओं बाबत किसी रिकॉर्ड व दस्तावेजो की जाँच की गई और नाही इस बाबत प्रार्थी/अपीलार्थी को समुचित साक्ष्य पेश करने व सुनवाई का मौका दिया गया है और नाही कोई किसी पदार्थ की जप्ती की कार्यवाही की गई, जबकि प्रार्थी सन 2015 से राशन सामग्री का वितरण करता चला आ रहा है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग राजस्थान सरकार द्वारा दिनांक–25.03.1994 को परिपत्र जारी किया गया है, जिसमें समस्त जिला कलेक्टर राजस्थान को निर्देशित किया गया है कि तकनीकी कमियों के आधार पर व्यापारियों के विरूद्ध कार्यवाही नहीं की जावे ओर ना ही मुकदमे बनाये जावें। यहा यह उल्लेखनीय है कि उक्त परिपत्र जारी करने के पीछे सरकार की यह मंशा है कि अनावश्यक रूप से उचित मूल्य दुकानदारों के विरूद्ध तकनीकी एवं छोटी मोटी गलतियों के आधार पर प्रकरण दर्ज नहीं कराये जावें। उक्त प्रकरणों में भी प्रार्थी/ अपीलार्थी द्वारा किसी प्रकार का कोई गबन एवं कालाबाजारी नहीं की गई है अपितु जाँच अधिकारीयों द्वारा रिकॉर्ड एवं स्टॉक की अनदेखी कर एवं प्रार्थी/अपीलार्थी के व्यवहार के बाबत बिना किसी जाँच व सन्तुष्टि के आदेश जेर अपील प्रदान किया गया है। जिला रसद अधिकारी करौली द्वारा प्रकरण संख्या–231/15 में दर्ज आरोप बी.पी.एल. कार्ड संख्या–248 में गेहूं व चीनी देने का इन्द्राज दर्ज नहीं होना एवं उपभोक्ताओं से अभद्र व्यवहार करने के आरोपों की

बिना प्रमाणिकता के आदेश जेर अपील प्रदान किया है कि जो काबिल मंसूखी है। प्रार्थी/अपीलार्थी का एक मात्र रोजगार यह उचित मूल्य दुकान है। प्रार्थी के ऊपर पूरे परिवार के भरण पोषण का दायित्व है एवं प्रार्थी के ऊपर कोई गंभीर आरोप भी नहीं है एवं प्रार्थी द्वारा किसी भी प्रकार की कोई कालाबजारी नहीं की गई है और नाही कोई अनियमितता बरती गई है। इसके बावजूद भी प्राधिकार पत्र को बिना किसी उचित कारण के निरस्त कर दिया है कि जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है। तथाकथित जॉच रिपोर्ट तारीखी–20.02.2019, फर्द मौका तारीखी–20.02.2019 जिला रसद अधिकारी करौली की उपस्थिति में तैयार किया जाना बताया गया है एवं प्रकरण को भी जिला रसद अधिकारी द्वारा निर्णय निर्णित किया गया है, जो निर्णय विधि विरूद्ध पारित होने के कारण काबिल निरस्तनीय है। कानूनन किन्ही दो प्रकरणों का निस्तारण एक ही निर्णय के द्वारा किया जाना विधि वर्जित है। श्रीमान जिला रसद अधिकारी द्वारा पूर्व में प्रकरण संख्या–234/16 दर्ज दिनांक–30.11.2016 की कार्यवाही का निस्तारण करते हुए प्रार्थी के निलम्बित प्राधिकार पत्र को बहाल किया गया है, तो उस समय ही प्रकरण संख्या–231/15 की कार्यवाही का निस्तारण क्यों नहीं किया गया। इससे स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा पूर्व में दर्ज प्रकरण संख्या–31/15 में कोई अनियमितता नहीं बरती गई ओर नाही कोई काला बाजारी की गई, नाही उपभोक्ताओं के प्रति कोई गलत व्यवहार किया गया, इसलिये पूर्व में उक्त प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं की गई, परन्तु प्रकरण हाजा की कार्यवाही के दौरान दुर्भावना से ग्रसित होकर बिना किसी आधार के उक्त प्रकरण को प्रकरण हाजा में शामिल किया जाकर निर्णय व आदेश जेर अपील किया है, जो काबिल मंसूखी है। श्रीमान जिला रसद अधिकारी करौली ने आदेश जेर अपील दिनांकित–03.06.2019 अपीलार्थी के अनुपस्थिति में पारित किया है जिसका पता चलने पर अपीलार्थी द्वारा सूचना के अधिकार के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर आदेश जेर अपील की नकल दिनांक–02.07.2019 को मिलने पर आदेश व निर्णय जेर अपील अन्दर अवधि प्रस्तुत की है। इसके अतिरिक्त चीनी की छीजत भी होती है। तौलने में भी ज्यादा चला जाता है। 66.43 किलो चीनी की कोई क्या कालाबाजारी करेगा। कम पाये गये स्टॉक की मात्रा अधिक हो तो फिर भी कालाबाजारी का संदेह किया जा सकता है। अंत में अपील, अपीलार्थी स्वीकार करने का कथन किया है।

प्रवर्तन निरीक्षक करौली ने बहस के दौरान कथन किया है कि जिला रसद अधिकारी करौली, प्रवर्तन निरीक्षक करौली व प्रवर्तन निरीक्षक मण्डरायल द्वारा अपीलार्थी की राशन दुकान की दिनांक 20.02.2019 को जांच की गई थी। वक्त जांच दुकान पर स्टॉक मूल्य एवं प्रदर्शन बोर्ड लगा हुआ था लेकिन सूचना प्रदर्शित नहीं थी। दुकान का भौतिक सत्यापन करने पर 68 किलो चीनी पायी गई जबकि कार्यालय रिकॉर्ड के आधार पर 1.43 क्विं. चीनी होनी चाहिये थी। इस प्रकार 66.43 किलो चीनी कम पायी गई। तथा 1474 लीटर केरोसीन का वितरण अधिक पाया गया लेकिन वक्त सुनवाई अपीलार्थी द्वारा 1474 लीटर केरोसीन पूर्व का होना बताया एवं साक्ष्य प्रस्तुत किये जो संतोषजनक थे जिस कारण केरोसीन की अनियमितता नहीं पायी गई। एवं शेष स्टॉक को भी अपीलार्थी द्वारा अटैच डीलर को "बाद की सोच" पर स्टॉक पूर्ण करते हुए सुपुर्द कर दिया गया है। अपीलार्थी के विरुद्ध कार्यालय में प्रकरण संख्या 31/15 भी लंबित था जिसे इस प्रकरण में शामिल किया गया था। इस प्रकार डीलर द्वारा 66.43 क्विं. चीनी का दुरुपयोग करना, उपभोक्ताओं से अभद्र व्यवहार करना, वितरण व्यवस्था सही नही होना, प्रकरण संख्या 31/15 में जारी नोटिस का अपीलार्थी द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं किया जाना आदि अनियमितताएं पाये जाने पर अपीलार्थी राशन डीलर का प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है जो विधिसम्मत है। अंत में अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का कथन किया है।

बहस उभय पक्षकारान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का गंभीरतापूर्वक मनन किया गया। अपीलार्थी की राशन दुकान की दिनांक 20.02.2019 को जिला रसद अधिकारी करौली, प्रवर्तन निरीक्षक करौली व प्रवर्तन निरीक्षक मण्डरायल द्वारा अपीलार्थी की राशन दुकान की दिनांक 20.02.2019 को जांच की गई थी। मौका रिपोर्ट के अनुसार वक्त जांच अपीलार्थी की दुकान के भौतिक सत्यापन करने पर 50 किलोग्राम चीनी पाया जाना अंकित है जबकि निर्णय दिनांक 03.06.2019 में भौतिक सत्यापन में 68 किलोग्राम चीनी पाये जाने का अंकन है। कार्यालय रिकॉर्ड के अनुसार 1.43 क्विं. चीनी अपीलार्थी राशन डीलर के पास शेष होनी चाहिये थी। इस प्रकार फर्द मौका अनुसार 50 किलोग्राम चीनी भौतिक सत्यापन पर पाये जाने पर 93 किलोग्राम चीनी का एवं निर्णय दिनांक 03.06.2019 में अंकित अनुसार 68 किलोग्राम चीनी भौतिक सत्यापन पर पाये जाने पर 75 किलोग्राम चीनी का दुरुपयोग पाया जाना चाहिये था लेकिन दोनों ही स्थितियों के अनुसार दुरुपयोग नहीं पाया जाकर 66.43 किलोग्राम चीनी का दुरुपयोग पाया गया है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने तथ्यों पर गौर ही नहीं किया और अपीलार्थी राशन डीलर का प्राधिकार पत्र निरस्त कर दिया। साथ ही अपीलार्थी के विरुद्ध लंबित पूर्व प्रकरण 31/15 को भी इस प्रकरण में शामिल कर लिया गया जबकि दोनों ही प्रकरण अलग–अलग हैं एवं उनका निस्तारण भी एक प्रकरण की तरह न करके अलग–अलग प्रकरण की तरह ही किया जाना चाहिये था। अतः हम अपीलार्थी के कथनों से सहमत हैं एवं अपील अपीलाण्ट स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं।

अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 03.06.2019 अपास्त किया जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रति अधीनस्थ न्यायालय को उनकी पत्रावली के साथ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 30.09.2019 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

30/9/19

(डॉ. मोहन लाल यादव)
जिला कलक्टर
करौली